पत्र संख्या-स0द0 / 793 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर , वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: जून 23 2017

समस्त

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0)

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

आप अवगत है कि विभाग की सचल दल (Mobile Squads)एवं विशेष अनुसंधान शाखा (SIB) की इकाइयों द्वारा करयोग्य माल के परिवहन एवं भण्डारण के समय करापवंचन पर प्रभावी अंकुश लगाने की कार्यवाही कराने के दौरान कतिपय करापवंचक तत्वों / माफियाओं द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता है। ये असामाजिक तत्व गैंग बनाकर अवैध तरीके से दूसरे प्रदेशों से भारी मात्रा में वस्तुएं मंगाकर बिना टैक्स दिए इनका भण्डारण , परिवहन एवं विक्रय कराने में संलिप्त रहते हैं।

इस संबंध में मुख्यालय स्तर से कतिपय करापवंचक तत्वों एवं माफियाओं की सूची प्रभावी समेकित कार्यवाही किए जाने के दृष्टिकोण से मण्डलों के अधीन आने वाले सभी जनपदों में एक टास्क फोर्स , जिसमें वाणिज्य कर विभाग , पुलिस विभाग , परिवहन विभाग एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट सम्मिलित हों, गठित करने हेतु प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त को प्रेषित की गई।

उपर्युक्त संबंध में निर्देशित किया जाता है कि अपने जोन के अन्तर्गत आने वाले जनपदों में यदि अभी तक टास्कफोर्स गठित नही हुई तो संबंधित मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी से स्वयं सम्पर्क करके टास्क फोर्स गठित कराने का कष्ट करें। सुलभ संदर्भ हेतु जोन से संबंधित मण्डलायुक्त को प्रेषित अ0शा0 पत्र की छाया प्रति भी संलग्न है।

संलग्नक- यथोपरि।

22/06/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)

कमिश्नर , वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।